



## आईआईजीसी २०१७ में घाना प्रतिनिधियों तथा भारतीय बुलियन हितधारकों की विशेष बैठक

भारतीय गोल्ड उद्योग काफी तेजी से बदल रहा है। उद्योग में रहें सुधारों के चलते जहां यह बेहतर अनुपालन में शामिल हो रहा है तथा उससे नये अवसर भी पैदा हो रहे हैं वहीं अनेक व्यवसायिक चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं।

गोल्ड रिफायनिंग क्षेत्र भारतीय गोल्ड उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र बिंदु है। यहां पर लगभग ३० रिफायनरियां हैं जिसमें से एक एलबीएमए द्वारा मान्यताप्राप्त है। एलबीएमए मान्यताप्राप्त रिफायनरियों के लिये डोरे की सोर्सिंग कोई मुश्किल कार्य नहीं है लेकिन अन्य के लिये बड़ी कठिनाई का कार्य है। इसके पीछे अनेक कारण हैं लेकिन उनमें सबसे प्रमुख यह है कि उद्योग को स्थायी रहने की दिशा में बढ़ना होगा। डोरे की सोर्सिंग में आने वाली कठिनाईयां अनेक की संख्या में हैं जिसे दूर करने के लिए भारतीय हितधारकों तथा गोल्ड माइनिंग कंपनियों के बीच प्रभावी बातचीत की आवश्यकता है।

आईआईजीसी इस तरह के बातचीत के लिये एक आदर्श मंच है। एक सामान्य औद्योगिक मंच के रूप में आईआईजीसी हमेशा से ही व्यवसाय के लिये बेहतर संभावनायें प्रदान करता आ रहा है और इसी कारण से इस सम्मेलन का आयोजन एक दशक से सफलतापूर्वक हो रहा है। आईआईजीसी ने यह महसूस किया कि भारतीय रिफायनरों को कच्चे माल के लिये एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखकर डीआरसी तथा घाना के सरकारी अधिकारियों और भारतीय उद्योग प्रतिनिधियों के बीच बेहतर आपसी समझ के लिये एक विशेष बंद-दरवाजा बैठक का आयोजन किया गया था।

### घाना के साथ बैठक

#### प्रतिनिधि मंडल

बारबरा ओटेन्ग ग्यासि, भूमि व प्राकृतिक संसाधन उपमंत्रि की अध्यक्षता की।

क्रेटोफर क्वासि अनोक्ये (तकनीकी निदेशक), भूमि व प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय

कोलिन्स एनिम-सैके ने अन्य सहकर्मियों के साथ मिनरल कमीशन का प्रतिनिधित्व किया।

### मुख्य चर्चा बिंदु

- भूमि व प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा माइन के लिये लाइसेंस प्रदान किया जाता है तथा मिनरल कमीशन अनुपालन की निगरानी करता है। मिनरल कमीशन रिफायनरों (एग्ग्रेगटर्स) को लाइसेंस देता है तथा "खरीदी, रिफाइन व निर्यात" का लाइसेंस भी जारी करता है जो कि रिफायनरों द्वारा खरीदे गोल्ड का आंशिक भाग रिफाइन व निर्यात करने की अनिवार्यता देता है लेकिन इसका पालन अब तक नहीं हुआ है।
- वर्तमान में केवल दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं—
- छोटे माइनिंग लाइसेंस— केवल घाना नागरिकों के लिये है, विदेशी नागरिक इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते हैं।
- बड़े माइनिंग लाइसेंस— विदेशी नागरिकों के लिये खुला।
- यहां पर मध्य स्तर की माइनिंग के रूप में तीसरा लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि स्थानीय तथा विदेशी नागरिकों का संयुक्त उपक्रम होगा। इस कार्य चल रहा है तथा उम्मीद है कि २०१८ के मध्य या आखिर में इसकी घोषणा की जायेगी।

- छोटे स्तर की माइन— जो कि २५ एकड़ क्षेत्र में फैला हो, बड़े स्तर की माइन— जो कि ६० एकड़ में फैला हुआ हो।
- विदेशी/स्थानीय नागरिक दोनों तरह की माइनों में सहयोगी सेवार्थें प्रदान कर सकते हैं।
- छोटे स्तर की माइन में केवल स्थानीय नागरिक ही कार्य कर सकते हैं।
- छोटे माइनों के पास अधिकतर वित्तीय व तकनीकी समस्यायें होती हैं जिसके चलते वे लाइसेन्सी खरीदार, जैसे कि व्यापारी तथा एग्ग्रेगटर्स (जिन्हें लाइसेन्स स्मेल्टिंग, रिफाइन व निर्यात की पूर्व शर्त पर दिया जाता है लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं) को गोल्ड बेच देते हैं।
- लाइसेन्सी खरीदार केवल मिनरल कमीशन के लाइसेन्सी रिफायनर के पास गोल्ड ले जा सकते हैं जिसके पास गलाई तथा जांच की सुविधा हो (जल घनत्व तथा एक्सआरएफ तकनीक ही उपयोग किया जाता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों जैसे कि फायर असे, आईसीपी का इस्तेमाल नहीं करता, केवल गोल्ड कोस्ट रिफायनरी लिमि. के पास घाना में यह सब सुविधायें हैं)।
- लाइसेन्सी रिफायनर (एग्ग्रेगटर्स) केवल लाइसेन्सी माइन या खरीदार से ही खरीदी कर सकता है। (खरीदारों का लाइसेन्स रिफायनर द्वारा जारी किया जाता है जो कि गलाई, जांच व निर्यात करते हैं)
- लाइसेन्सी रिफायनर को लेनदेन की पूरी जानकारी, खरीदार, मात्रा, रकम, मिनरल कमीशन को देना होता है।
- डोरे के निर्यात पर ०.२०% कल्याण कर तथा ०.१८% पीएमएमसी जांच प्रमाण पत्र के अलावा कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। (यह एक महज औपचारिकता है क्योंकि पीएमएमसी द्वारा कोई जांच नहीं किया जाता है, हालांकि श्री कोलियन ने कहा है कि शीघ्र ही एक्सआरएफ, अल्ट्रासाउंड तथा जलघनत्व के लिये उपकरणों की स्थापना की जायेगी।
- खरीदार द्वारा लिये गये गोल्ड पर ३% रिटेनर टैक्स लगाया जाता है।
- निर्यात दस्तावेजों में शामिल जानकारीयें— इनवाइस, मास्टर एयरवे बिल, एक्सपोर्टर पैकिंग लिस्ट, माइनिंग कंपनी पैकिंग लिस्ट, कन्ट्री सोर्स सर्टिफिकेट जीसी-नेट द्वारा, आईटीसी-एचएस कोड के लिये बैंक ऑफ घाना का सर्टिफिकेट, घाना की मुद्रा तथा डालर में मूल्यांकन, निर्यातक का नाम, खरीदार का नाम इत्यादि।
- थर्ड पार्टी बिलिंग की अनुमति है और इसलिये धन की घाना में वापसी में मुश्किलें आती हैं। हालांकि फंड की आंशिक भाग की वापसी की शर्त होती है।
- अवैध माइनिंग पर लगाम लगाने के लिये माइनिंग के लाइसेंस रद्द कर पुनः जारी किये जाते हैं।
- घाना माइनिंग में कोई बाल श्रमिक कार्य नहीं करता है।
- यहां पर काफी सावधान वातावरण है।
- घाना सरकार एफडीआई नीतियों पर काफी सकारात्मक है तथा वित्तीय व तकनीकी सहायता के लिये निवेशकों तक पहुंचती रहती है ताकि छोटे व कारीगर माइनर एक एकड़ में अधिक मात्रा में गोल्ड प्राप्त कर सकें और स्थानीय तथा सामाजिक समृद्धि हो सके।
- भारतीय खरीदारों (गोल्ड/डोरे) को घाना में स्थापित विश्वस्तर के रिफायनरी गोल्ड कोस्ट रिफायनरी लिमि. के बारे में अवगत कराया गया है जिसका परिचालन मिनरल कमीशन की अनुमति से हो रहा है तथा इसमें समस्त आधुनिक आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं।

यदि आप किसी प्रतिनिधि सदस्यों के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमें [debajit@bullionbulletin.in](mailto:debajit@bullionbulletin.in) पर ईमेल करें।